यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, लैंसडाउन** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, लैंसडाउन के माह 08/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर0एन0 यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी0के0 श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 04/12/2020 से 16/12/2020 तक श्री जे°एम°एस° रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, स0ले0प0अ0 एवं श्री लक्ष्मण सिंह, स0ले0प0अ0 एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.08.2019 से 09.08.2019 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव/वरि°ले°प°अ° के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2018 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः द्वारीखाल, जयहरीखाल, रिखनीखाल, नैनीडांडा, यमकेश्वर में सड़को का नवनिर्माण एवं डामरीकरण का कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (+)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2018-19	---	---	738.71	714.17	1800.29	1800.29	----	24.54
2019-20	---	---	723.86	723.86	2566.27	2565.90	3.27	3.60
2020-21 (up to 11/2020)	---	---	---	448.38	835.94	708.21	1.13	128.86

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (up to 10/2020)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'अ'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैंसडाउन** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैंसडाउन** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **मार्च 2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य "**जयहरीखाल में खैरासेण से डोर-नगधार-ब्याली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य"** का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में माह 11/2020 में निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **09/2020** तथा **09/2020** तक की गई।

5. फार्म 51: माह **09/2020** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथमः ₹ 47224.00
भाग द्वितीयः ₹ 666497.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **10/2020** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिमः ₹ 4138746.00
(ख) सामग्री क्रयः Nil
(ग) नगद परिशोधनः Nil
(घ) निक्षेपः ₹17626087.00
(ङ) भण्डारः (-) ₹7914178.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1: विभागीय शिथिलता एवं वित्तीय नियमो के विपरीत वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय (कुल व्यय ` 124.34 लाख) के उपरांत भी कार्य का 09 वर्षो से भी अधिक समय से अपूर्ण रहना ।

As per Financial Handbook Vol-VI:

316(2)-Revised –When expenditure on a work exceeds, or is likely to exceed, the amount administratively approved for it by morethan 10 per cent, or where there are material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may possible be covered by savings on other items, revised administrative approval must be obtained from the authority competent to approve the cost, as so enhanced.

उत्तराखंड शासन द्वारा ए0 सी0 पी0 राज्य योजना के अंतर्गत थानखाल-भलगांव-सुरालगाव मोटर मार्ग निर्माण मार्ग लंबाई 6.00 किमी हेतु ` 103.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (सितंबर 2006 ) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति ` 99.51 लाख हेतु ही प्रदान (जून 2011) की गयी । कार्य के निष्पादन हेतु 06 अनुबंध (संलग्नकानुसार) ` 127.63लाख हेतु गठित किए गए जिसके सापेक्ष कुल ` 124.34 लाख का भुगतान किया गया था। फार्म-64 (अक्तूबर 2020) के अनुसार कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय ` 104.29 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो0 नि0 वि0, लैन्सडाउन के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा उपरोक्त मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त वित्तीय स्वीकृति ` 103.50 लाख के सापेक्ष प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति ` 99.51 लाख के सापेक्ष न केवल वित्तीय नियमावली के विपरीत `124.34 लाख का व्यय किया गया अपितु उक्त के उपरांत भी किमी 0.00 से किमी 1.50 एवं किमी 4.00 से किमी 5.00 मे Scupper इत्यादि जैसे मुख्य कार्य एवं किमी 6.00 मे पहाड़ कटान के कार्यो का अंतिमीकरण भी वर्तमान तक नहीं किया जा सका था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण पर कुल व्यय ` 104.50 लाख ही है जबकि अनुबंध स0 167/EE का कार्य वार्षिक अनुरक्षण मद से कराया गया है जिसकी धनराशि परिलक्षित होने के कारण कुल व्यय ` 127.63 लाख थी जो इस स्वीकृति से

संबन्धित नहीं है। पुनः ग्रामीणो से विवाद अनुबंध स0 (101/ईई) का अंतिमिकरण नहीं किया जा सका एवं धनराशि की कमी के कारण scupper इत्यादि के कार्य नहीं कराये जा सके जिसके हेतु पुनरीक्षित आगणन गठित किए जा रहे हैं।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा न केवल वित्तीय नियमावली के विरुद्ध वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय के उपरांत भी मार्ग का निर्माण अपूर्ण रहा अपितु कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन भी वर्तमान तक प्रेषित नहीं किया जा सका था। पुनः खंड का यह कथन कि अनुबंध स0 167/ईई के कार्य वार्षिक अनुरक्षण के मद मे कराये गए थे, इस तथ्य की पुष्टि करते है की उक्त चैनेज के कार्य पर स्वीकृत मद के इतर व्यय किया गया क्यूंकि उक्त अनुबंध का गठन नाबार्ड के अंतर्गत ही किया गया जो विस्तृत आगणन के ही भाग थे।

अतः विभागीय शिथिलता एवं वित्तीय नियमो के विपरीत कार्य के निष्पादन मे वित्तीय स्वीकृति से ` 20.84 लाख अधिक व्यय (कुल ` 124.34) के उपरांत भी प्राविधिक स्वीकृति के 09 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य के अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1: पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति लंबित रहने के बावजूद वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुये मूल डिज़ाइन मे परिवर्तन करते हुये कार्य का अनियमित निर्माण

As per Financial Handbook Rule Vol-VI:

316-Revised –When expenditure on a work exceeds, or is likely to exceed, the amount administratively approved for it by more than 10 per cent, or where there are material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may possible be covered by savings on other items, revised administrative approval must be obtained from the authority competent to approve the cost, as so enhanced.

उत्तराखंड शासन द्वारा ए0 सी0 पी0 योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल मे खाल दरखासती हेतु मोटर मार्ग लंबाई 6.00 किमी + 24 मी0 स्पान लौह सेतु निर्माण हेतु ` 112.44 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2006) जिसकी आंशिक प्राविधिक स्वीकृति दो चरणो मे क्रमश: ` 77.10 लाख मार्ग निर्माण हेतु (फरवरी 2009) एवं ` 33.67. लाख सेतु के सिविल कार्य sub structure हेतु (नवंबर 2009 ) प्रदान की गयी । कार्य के निष्पादन हेतु कुल 12 अनुबंध (संलग्नकानुसार ) ` 106.91 लाख हेतु गठित की गयी। जिसके सापेक्ष कार्य पर कुल व्यय ` 110.89 लाख था जबकि फार्म-64 (अक्तूबर 2020) के अनुसार कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय ` 111.95 लाख था।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड , लो0 नि0 वि0, लैन्सडाउन के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) मे पाया गया कि उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष मार्ग लंबाई 6.00 किमी के किमी1.00 से किमी 2.00 के मध्य 24 मी0 स्पान के लौह सेतु का निर्माण किया जाना था किन्तु खंड द्वारा न केवल भूमि विवाद के कारण न केवल 03 वर्ष बाद आंशिक प्राविधिक स्वीकृति के सापेक्ष मार्ग निर्माण हेतु अनुबंध गठित किया गया अपितु इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि स्वीकृत अवशेष धनराशि मे सेतु का

निर्माण नहीं किया जा सकता, सेतु के सिविल कार्यो हेतु ` 33.67 लाख की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर एक अनुबंध (81/EE dated 02.12.2009) गठित किया गया एवं फैब्रिकेशन/एरेक्सन के कार्यो हेतु एक पुनरीक्षित आगणन कार्यालय अधीक्षण अभियंता को प्रेषित किया गया (माह सितंबर 2009)। पुनः खंड द्वारा वर्ष 2010 मे अत्यधिक वर्षा के कारण जल स्तर बढ़ने एवं 24 मी स्पान का सेतु सुरक्षित न रहने के कारण न केवल उक्त अनुबंध (81/EE) को ` 8.23 लाख व्यय के साथ अपूर्ण अवस्था मे निरस्त कर दिया गया अपितु 30 मी0 स्पान सेतु के निर्माण हेतु एक पुनरीक्षित आगणन रु 184.87 लाख हेतु शासन को प्रेषित किया गया (माह नवंबर 2013)। किन्तु तत्समय तक स्वीकृति न प्राप्त होने एवं सामग्री इत्यादि की दरो मे वृद्धि के मद्देनजर पुनः एक पुनरीक्षित आगणन ` 215.82 लाख (` 113.38 लाख अधिक) हेतु शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया (माह नवंबर 2017)। किन्तु लंबी अवधि उपरांत भी उक्त स्वीकृति प्राप्त न हो पाने पर खंड द्वारा आरसीसी पुलिया के निर्माण हेतु एक अनुबंध (01/ईई दिनांकित 29.04.2019) ` 21.63 लाख हेतु गठित कर प्रारम्भ किया गया जिसका अंतिमीकरण ` 41.47 लाख के साथ किया गया।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उपरोक्त तथ्यो को स्वीकार करते हुये उत्तर मे बताया गया कि तत्समय (माह 09/2009) मे सेतु के मात्र सिविल कार्यो हेतु ही आंशिक प्राविधिक स्वीकृति इसलिए प्राप्त की गयी थी कि भविष्य मे इसकी लागत मे वृद्धि न हो तथा वर्ष 2019 मे पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त न हो पाने की स्थिति मे ग्रामीणो के द्वारा (किमी 1.00 से किमी 2.00 मे) सेतु निर्माण न होने पर आक्रोश व्यक्त किए जाने एवं विभाग द्वारा मार्ग के सदुपयोग हेतु उचित स्थल पर आरसीसी पुलिया का निर्माण किया गया। अतः वर्तमान मे मार्ग का सदुपयोग किया जा रहा है जबकि पुनरीक्षित आगणन प्रतीक्षित है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा न केवल किमी 2.00 से किमी 6.00 तक मार्ग निर्माण हेतु भूमि विवाद को सुलझाने मे 03 वर्षो से भी अधिक समय की अवधि के बाद कार्य प्रारम्भ किया गया अपितु इस तथ्य से अवगत होने के उपरांत भी कि अवशेष धनराशि मे सेतु का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता, आंशिक रुप से सेतु के मात्र सिविल कार्यो की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके निरस्तीकरण से ` 8.73 लाख की हानि हुई। पुनः खंड द्वारा समय से कार्य पूर्ण न कराये जाने के कारण न केवल कार्य को पूर्ण कराये जाने की लागत मे ` 113.38 लाख की वृद्धि हूई जिसकी पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त न होने (07 वर्षो से लंबित) से वित्तीय नियमो के विपरीत

बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं बिना किसी भूगर्भीय आख्या के के सेतु की डिज़ाइन मे परिवर्तन करते हुये लौह सेतु के स्थान पर आरसीसी पुलिया का निर्माण किया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2: 10 कि0मी0 स्वीकृत मार्ग के सापेक्ष मात्र 03 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण पर ` 171.93 लाख का व्यय किया जाना एवं 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न होना।

जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन एवं द्वारीखाल ब्लाक में कुल्हाड बैण्ड - भरग्वाडीखाल - कैन्डूल - डलग्वाडी - हथनूड - उमन - किनसूर - व्यासघाट मोटर मार्ग के निर्माण कार्य कि0मी0 3 से 12 (10 कि0मी0 लम्बाई) हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा माह 9/2006 को ` 172.00 लाख की प्रदान की गयी थी एवं प्राविधिक स्वीकृति माह 12/2006 में मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) द्वारा इतनी ही राशि की प्रदान की गयी थी।

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन की लेखापरीक्षा माह दिसम्बर 2020 मे पाया गया कि उपरोक्त 10 किमी0 लम्बाई के 08 ग्रामों कुल्हाड बैण्ड, भरग्वाडीखाल, कैन्डूल, डलग्वाडी, हथनूड, उमन, किनसूर, व्यासघाट इत्यादि को यातायात की सुविधा प्रदान करने एवं सुदूर क्षेत्र में होने के कारण ग्रामीणों को चिकित्सा, शिक्षा एवं कृषि उपज बाजार में बेचने की सुविधा देने जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके इस उद्देश्य से यह मार्ग स्वीकृत किया गया था किन्तु खण्ड द्वारा पर्यवेक्षण में कमी एवं लचर कार्यप्रणाली के कारण मात्र 3 कि0मी0 (कि0मी0 03 से 05) में ही कार्य पूर्ण किया जा सका था जबकि वर्ष 2006 में कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति, प्राविधिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी एवं कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका था एवं शेष 7 कि0मी0 लम्बाई में कार्य अपूर्ण था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में स्वीकार किया गया कि कि0मी0 06 से 08 में ग्रामीणों के विवाद के कारण कार्य अपूर्ण है एवं कि0मी0 09 से 12 में ठेकेदार द्वारा कार्य न किये जाने के कारण सम्बन्धित के विरुद्ध जांच गतिमान होने के कारण कार्य नही किया जा सका है, लेखापरीक्षा में यह पूछे जाने पर कि क्या खण्डीय अथवा विभागीय स्तर पर कार्य पूर्ण करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है तो बतलाया गया कि ग्रामीणों के विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है। लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नही था क्योकि विगत 13-14 वर्षो से विवाद सुलझाया नही जा सका था। साथ ही यह विभाग की कार्य के प्रति उदासीनता एवं लचर कार्यप्रणाली भी दर्शाता है। यदि विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उचित सर्वेक्षण एवं भूअर्जन अपने पक्ष मे कर लिया गया होता और

समय से रुचि लेकर उचित पर्यवेक्षण किया गया होता तो कई ग्रामों के लोगों को यातायात का लाभ मिलता एवं लक्ष्य पूर्ण होता।

अतः 10 कि0मी0 स्वीकृत मार्ग के सापेक्ष मात्र 03 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण पर ` 170.11 लाख का व्यय करने एवं 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II(ब)

प्रस्तर-3: स्वीकृति के 12 वर्ष व्यतीत होने तथा ` 331.65 लाख व्यय के पश्चात भी कार्य का अपूर्ण रहना।

राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में नोडखाल-नांद मोटर मार्ग का सिंगटाली तक विस्तार (किमी0 1 से 10) सेतु सहित निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 764/III(2)/08-65(प्रा0आ0)/02 दिनांक 24.03.2008 द्वारा लम्बाई 10.00 किमी0 हेतु कुल लागत ` 421.28 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल-क्षेत्र), लो0नि0वि0, पौढ़ी द्वारा पत्रांक : 1056/12(133)याता0-पर्व/2011 दिनांक 29-03-2011 के माध्यम से लम्बाई 10.00 किमी0 हेतु लागत ` 138.04 लाख की प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य के पार्ट-2 के मदों का कार्य कराये जाने हेतु प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल-क्षेत्र), लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा पत्रांक : 4152/12(133)याता0-पर्व/2013 दिनांक 29-11-2013 के माध्यम से लागत ` 177.21 लाख की प्रदान की गयी। इस प्रकार पूर्व में दी गई प्राविधिक स्वीकृति ` 138.04 को सम्मिलित करते हुये कुल ` 315.25 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन की नमूना लेखापरीक्षा (12/2020) में पाया गया कि नोडखाल-नांद मोटर मार्ग का सिंगटाली तक विस्तार (किमी0 1 से 10) सेतु सहित निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 03/2008 में प्राप्त हुई थी परन्तु मार्ग निर्माण कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी रहने के कारण स्वीकृति के 12 वर्ष पश्चात् भी कार्य पूर्ण नही किया जा सका था जबकि मार्ग को सिंगटाली तक जोड़ने हेतु 5.00 किमी0 लम्बाई हेतु प्रारम्भिक आगणन गठित कर अधीक्षण अभियन्ता पौड़ी को 07/2018 में प्रेषित किया गया। आगे जांच में पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग के भूगर्भीय निरीक्षण आख्या में उल्लिखित था कि मोटर मार्ग के किमी0 3 एवं किमी0 7 में समरेखण स्थानीय गदेरों को पार करता है जिन पर सेतु निर्माण की आवश्यकता होगी

परन्तु भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के विपरीत किमी0 3 में R.C.C. पुलिया एवं किमी0 7 में काजवे का निर्माण कराया गया जबकि प्रशासनिक स्वीकृति सेतु सहित प्राप्त हुई थी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि 10 किमी0 स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष 9.70 किमी0 लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण है मात्र 0.300 किमी0 लम्बाई में कार्य अवशेष है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। मार्ग को सिंगटाली तक जोड़ने हेतु प्रारम्भिक आगणन प्रेषित किया गया है स्वीकृति अपेक्षित है। खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योकि कार्य की स्वीकृति के 12 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य पूर्ण नही किया जा सका था तथा उक्त मोटर मार्ग को सिंगटाली तक विस्तार किया जाना था तथापि सिंगटाली को जोड़ने हेतु 5 किमी0 अतिरिक्त लम्बाई की स्वीकृति नही प्राप्त की जा सकी थी जिससे सिंगटाली के ग्रामीण यातायात की सुविधा से वंचित थे जो कार्य के प्रति विभागीय उदासिनता एवं लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

अतः कार्य के प्रति विभागीय उदासीनता एवं लचर कार्यप्रणाली के कारण कार्य की स्वीकृति के 12 वर्ष व्यतीत होने तथा ` 331.65 लाख व्यय के पश्चात भी कार्य के अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-4: खंड में कार्यरत 14 कार्मिकों का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया जाना, जिसकी वजह से कार्मिकों को वेतन/भत्तो का अधिक अथवा कम भुगतान किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, लैंसडाउन के अभिलेखों (सेवापुस्तिका एवं वेतन बिल पंजिका) की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि खंड में कार्यरत 14 कार्मिकों का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया है, जिसकी वजह से इनको वेतन/भत्तों का अधिक/कम भुगतान किया जा रहा है। इनमें से 02 कार्मिकों के भुगतान संबंधी अभिलेख/साक्ष्य खंड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए, जिनके आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इन दोनों कार्मिकों को अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो की धनराशि की गणना भी की गई। इन कार्मिकों का विवरण इस प्रकार है-

<u>श्री लाल सिंह रावत/सहायक अभियंता:-</u>

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 10 (3) के अनुसार- ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित *<u>वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।</u>*

श्री रावत की सेवापुस्तिका की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 07.12.2017 को ग्रेड वेतन उच्चीकरण के बाद दिनांक 01.01.2018 से इनका मूलवेतन गलत निर्धारित किया गया है। दिनांक 07.12.2017 को इनका वेतन लेवल, लेवल-12 (ग्रेड वेतन 7600) से लेवल-13 (ग्रेड वेतन 8700) में

उच्चिकृत हुआ था। जिसके बाद उक्त तिथि से खंड द्वारा लेवल-13 में इनका वेतन निर्धारण किया गया (7वे वेतनमान में), जिसमे इनका मूलवेतन 102800 से बढ़ाकर 123100 निर्धारित किया गया। परंतु खंड द्वारा इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई वह 01.01.2018 (मूलवेतन- 126800) को दी गई जो कि उपरोक्त नियम (बिन्दु-I) के अनुसार 01.07.2018 को दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यह एक वित्तीय उन्नयन था।

उपरोक्त की वजह से खंड द्वारा इनको आगामी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ जो कि 01.01.2019 एवं 01.01.2020 को दी गईं (मूलवेतन क्रमश: 130600 एवं 134500), वह भी समय से पहले दी गई। यह वार्षिक वेतन वृद्धियाँ क्रमश: 01.07.2019 एवं 01.07.2020 को दी जानी चाहिए थीं।

उक्त की वजह से इनको वेतन एवं भत्तो का जो अधिक भुगतान हुआ उसकी गणना जब लेखापरीक्षा द्वारा, खंड द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखो के आधार पर की गई, तो पाया गया कि **इनको कुल धनराशि ` 75414/- का अधिक भुगतान किया गया।** (*संलग्नक-1)*

श्री रावत की वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक वेतन विवरणी के अनुसार इनको माह अप्रैल 2018 में 126800 के मूलवेतन के अनुसार वेतन/भत्ते प्राप्त हुए थे और खंड द्वारा किए गए वेतन निर्धारण के अनुसार भी इन्हे उक्त माह में इसी मूलवेतन पर वेतन/भत्तो का भुगतान होना चाहिए था। परंतु खंड द्वारा इनका उक्त माह का पुन: अवशेष वेतन देयक बनाया गया, जिसमे due मूलवेतन ` 126800 एवं drawn मूलवेतन ` 105900 लिया गया। जो कि गलत है क्योंकि यह उक्त माह में निर्धारित मूलवेतन पर वेतन/भत्ते प्राप्त कर चुके थे। उक्त की वजह से खंड द्वारा इनको एरिअर के रूप में **धनराशि ₹22385** का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

उपरोक्त अनुसार श्री रावत को कुल धनराशि **₹ 97799/- (₹ 75414+₹ 22385)** का अधिक भुगतान किया गया।

<u>श्रीमति ममता देवी/प्रधान सहायक:-</u>

इनकी सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी पदोन्नति की तिथि 15.02.2019 से इनका मूलवेतन गलत निर्धारित किया गया है। दिनांक 15.02.2019 को इनकी पदोन्नति वरिष्ठ सहायक (लेवल-5) के पद से प्रधान सहायक (लेवल-6) के पद पर हुई थी। जिसके बाद उक्त तिथि से खंड द्वारा इनका वेतन निर्धारण किया गया। पदोन्नति से पूर्व इनका मूलवेतन 33900 था (लेवल-5 में) एवं पदोन्नति के बाद खंड द्वारा दिनांक 15.02.19 को इनका मूलवेतन 36500 निर्धारित किया गया (लेवल-6 में)। जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि को (पदोन्नति तिथि) इनका मूलवेतन 35400 निर्धारित होना चाहिए था।

उक्त की वजह से ही इनको आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2020 को भी गलत एवं अधिक मूलवेतन दिया गया। उक्त तिथि को वेतन वृद्धि के बाद इनको ` 37600 का मूलवेतन दिया गया जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि को इनको ` 36500 का मूलवेतन दिया जाना चाहिए था।

उक्त की वजह से इनको वेतन एवं भत्तो का जो अधिक भुगतान हुआ उसकी गणना जब लेखापरीक्षा द्वारा, खंड द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखो के आधार पर की गई, तो पाया गया कि **इनको कुल धनराशि ` 25967/- का अधिक भुगतान किया गया।** (*संलग्नक-2)*

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष 12 कार्मिकों के वेतन निर्धारण में भी कई विसंगतियाँ पायी गई। चूंकि इन कार्मिकों के भुगतान संबंधी अभिलेख खंड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जा सके, इसलिए इनको अधिक/कम भुगतान किए गए वेतन की गणना लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी। परंतु इनके वेतन निर्धारण में पायी गई विसंगतियों का विवरण इस प्रकार है-

श्री रमेश चन्द्र सिंह/बेलदार:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2020 को इनकी सेवापुस्तिका में ` 32500 (लेवल-1) के मूलवेतन की प्रविष्टि की गई है। जो कि गलत है। 7वे वेतनमान की लेवल-1 की वेतन मैट्रिक्स के अनुसार उक्त तिथि को इनका मूलवेतन ` 32400 होना चाहिए था।

श्री बिन्दु लाल/बेलदार:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.07.2019 को इनका मूलवेतन ` 36400 था (लेवल-4 में)। जिसके बाद आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2020 को इनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि देकर ` 37500 का मूलवेतन दिया जाना चाहिए था। परंतु इनकी सेवापुस्तिका में उक्त तिथि (01.07.2020) को ` 36400 के मूलवेतन की ही प्रविष्टि पायी गई।

श्री मनोद लाल/मेंट:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी सेवापुस्तिका में दिनांक 11.10.2018 के बाद से मूलवेतन की कोई प्रविष्टि ही नहीं की गई है।

श्रीमति कबूतरी मधुवाल/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 23.06.2020 को इनकी पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद (लेवल-7) से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (लेवल-8) के पद पर हुई थी। उक्त पदोन्नति से ठीक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लेवल-7 में इनका अंतिम मूलवेतन ` 46200 था जिसके आधार पर आगामी वेतन निर्धारण किया जाना था। परंतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि को इनका वेतन निर्धारण करते समय विगत पद का अंतिम वेतन ` 47600 लिया गया। जिसकी वजह से उक्त तिथि (पदोन्नति तिथि) को गलत एवं अधिक वेतन निर्धारित किया गया।

श्री अजीत सिंह/सहायक अभियंता:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.16 को वेतन निर्धारण के पश्चात इनको आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2017 को दी गई जबकि इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जनवरी थी। उक्त क्रम में ही इनको आगामी वर्षों 2018 एवं 2019 में भी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ 01 जुलाई को ही दी गईं जबकि विगत वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि के अनुसार यह 01 जनवरी को दी जानी चाहिए थीं।

श्री आलोक जैन/सहायक अभियंता:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक संख्या 1523/2ई दिनांक: 26.05.18 में श्री जैन का दिनांक 01.01.2009 से पुन: वेतन निर्धारण किया गया है। जिसमे दिनांक 18.03.2011 को अपर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के बाद

एवं आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2012 के बीच एक प्रविष्टि में दिनांक 01.01.2011 को एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई है। जो की गलत है। उपरोक्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि की वजह से आगामी वर्षों में भी इनका गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री धीरज कुमार/चालक अभियंता:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 14.06.2014 को इनको चालक संवर्ग में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड वेतन ` 2400 स्वीकृत किया गया। जिसके बाद खंड द्वारा उक्त तिथि से इनका वेतन निर्धारण किया गया, परंतु इस वेतन निर्धारण में इनको वेतन वृद्धि नहीं दी गई।

उक्त तिथि को खंड द्वारा किए गए वेतन निर्धारण में इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन ` 9330+ ` 2400 था एवं इसके बाद आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जनवरी 2015 को इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन ` 9630+ ` 2400, कुल योग= ` 12030 था। परंतु 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण करते समय इनका विगत मूलवेतन + ग्रेड वेतन ` 10020+ ` 2400 कुल योग= ` 12420 (दिनांक 31.12.15 का) लिया गया।

श्री ज्ञान सिंह/बेलदार:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 31.12.15 को इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन ` 9370+ ` 2400 था परंतु 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.16 को वेतन निर्धारित करते समय उक्त तिथि का इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन ` 9020+ ` 2400 लिया गया। जिसकी वजह से नए वेतनमान में उक्त तिथि (01.01.16) से इनका मूलवेतन गलत एवं कम निर्धारित किया गया।

श्री सुरपाल/बेलदार:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जुलाई 2017 को इनका मूलवेतन ` 32300 था (लेवल-4)। इसके बाद आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जुलाई 2018 को इनका मूलवेतन लेवल-04 की वेतन मैट्रिक्स के अनुसार ` 33300 होना चाहिए था, परंतु 01 जुलाई 2018 को इनकी सेवापुस्तिका में ` 32300 के ही मूलवेतन की प्रविष्टि की गई है।

उक्त की वजह से इनको आगामी वर्षों 2019 एवं 2020 में भी कम मूलवेतन दिया गया। विगत लेखापरीक्षा में भी उक्त कमी पर आपत्ति लगाई गई थी परंतु खंड द्वारा इसे नहीं सुधारा गया।

श्री आनंद मणि/बेलदार:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी सेवापुस्तिका में भी 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.16 से निर्धारित किए गए मूलवेतन पर विगत लेखापरीक्षा में आपत्ति लगाई गई थी। परंतु खंड द्वारा इसे नहीं सुधारा गया।

श्री रणवीर सिंह/बेलदार एवं **श्री विजय सिंह/बेलदार**:- की सेवापुस्तिकाओं में भी विगत लेखापरीक्षा में वेतन निर्धारण में कमियों पर आपत्तियाँ लगाई गईं थी। परंतु खंड द्वारा इनकी कमियों को भी नहीं सुधारा गया। श्री रणवीर सिंह की सेवापुस्तिका में दिनांक 10.08.15 को 16 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी का लाभ न दिये जाने पर लेखापरीक्षा आपत्ति लगाई गई थी एवं श्री विजय सिंह

की सेवापुस्तिका में दिनांक 01.01.16 को (7वे वेतनमान लागू होने के उपरांत) त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर आपत्ति लगाई गई थी।

उक्त सभी अधिकारियों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि सभी अधिकारियों के वेतन निर्धारण के प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर दी जाएगी एवं तदनुसार अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली कर ली जाएगी। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: खंड में कार्यरत 14 कार्मिकों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का प्रकरण (जिसकी वजह से 02 कार्मिकों को कुल धनराशि ₹**123766 (₹9779+₹25967)** का अधिक भुगतान किया गया एवं खंड द्वारा शेष 12 कार्मिकों के भुगतान संबंधी अभिलेख उपलब्ध न कराये जा सकने के कारण, इनको अधिक भुगतान किए गए वेतन की गणना नहीं की जा सकी) उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**भाग –II (अ)**	**भाग –II (ब)**
1.	15/2005-06	01,02	02,03,05
2.	43/2006-07	01	01
3.	33/2007-08	01,02,03,04,05	02
4.	04/2009-10	01	-
5	29/2011-12	01	01,02
6	02/2013-14	01,02	01
7	68/2015-16	01	01
8	63/2016-17	01	01,02
9	99/2017-18	-	01,02,03

10	40/2019-20	-	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या		अनुपालन आख	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग –II(अ)	भाग –II (ब)			
15/2005-06	01,02	02,03,05	अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित की गई है।	शून्य	---
43/2006-07	01	01			
33/2007-08	01,02,03,04,05	02			
04/2009-10	01	-			
29/2011-12	01	01,02			
02/2013-14	01,02	01			
68/2015-16	01	01			
63/2016-17	01	01,02			
99/2017-18	-	01,02,03			
40/2019-20	-	01,02,03			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाउन** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री प्रवीन बहुखण्डी	अधिशासी अभियन्ता	09/06/2018 से 08/01/2020 तक।

(ii) श्री विवेका प्रसाद सेमवाल अधिशासी अभियन्ता 09/01/2020 से वर्तमान तक।

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री अंकित गंगवाल	खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाउन** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)